File No.16-3007(001)/3/2020- -3-

I/259581/2023

आवक
राजकीय इंजी. कालेज, ...
पत्रांक 1098 दिनांक 06/02/23
पिनकोड-205119 हस्ताक्षर

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

कृपा शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू, लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू, कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, गोरखपुर।
4. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
5. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. समस्त निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ0प्र0।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 09/01/2023

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-163426/2022-16-30079001)/3/2020, दिनांक 06.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-172/43-2-2022, दिनांक 29.04.2022 व पत्र संख्या-सी0एम0-09/43-2-2022, दिनांक 29.04.2022 के क्रम में विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लिखित सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराने व शासन को अवगत कराने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित किया गया था, परन्तु कृत कार्यवाही की वांछित सूचना अभी तक शासन में उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2. अवगत कराना है कि प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या 731/43-2-2022, दिनांक 21.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुए अपनी तथा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 21.12.2022 में की गई अपेक्षानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 17 श्रेणियों की अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत 03 दिन के अन्दर अपलोड कराते हुए सूचना अपलोड कराये

Forwarded to Dr. P. K. Singh
07/02/23
PIO

PIO / Asst. PIO

आवक
राजकीय इंजी. कालेज, ...
पत्रांक 1001 दिनांक 24/01/23
पिनकोड-205119
हस्ताक्षर

जाने संबंधी प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अनुपालन हेतु रिट याचिका सं०-(सिविल) 990/2021 दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति विवरण से मा० उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाना है। अतः शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रुप से कार्यवाही कराते हुए सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ससमय प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 को सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः-यथोक्त।

Signed by कृपा शंकर सिंह
भवदीय,
Date: 09-01-2023 18:56:11
(कृपा शंकर सिंह)
Reason: Approved
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया डिग्री सेक्टर की सूचना संकलित कर 03 दिवस में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

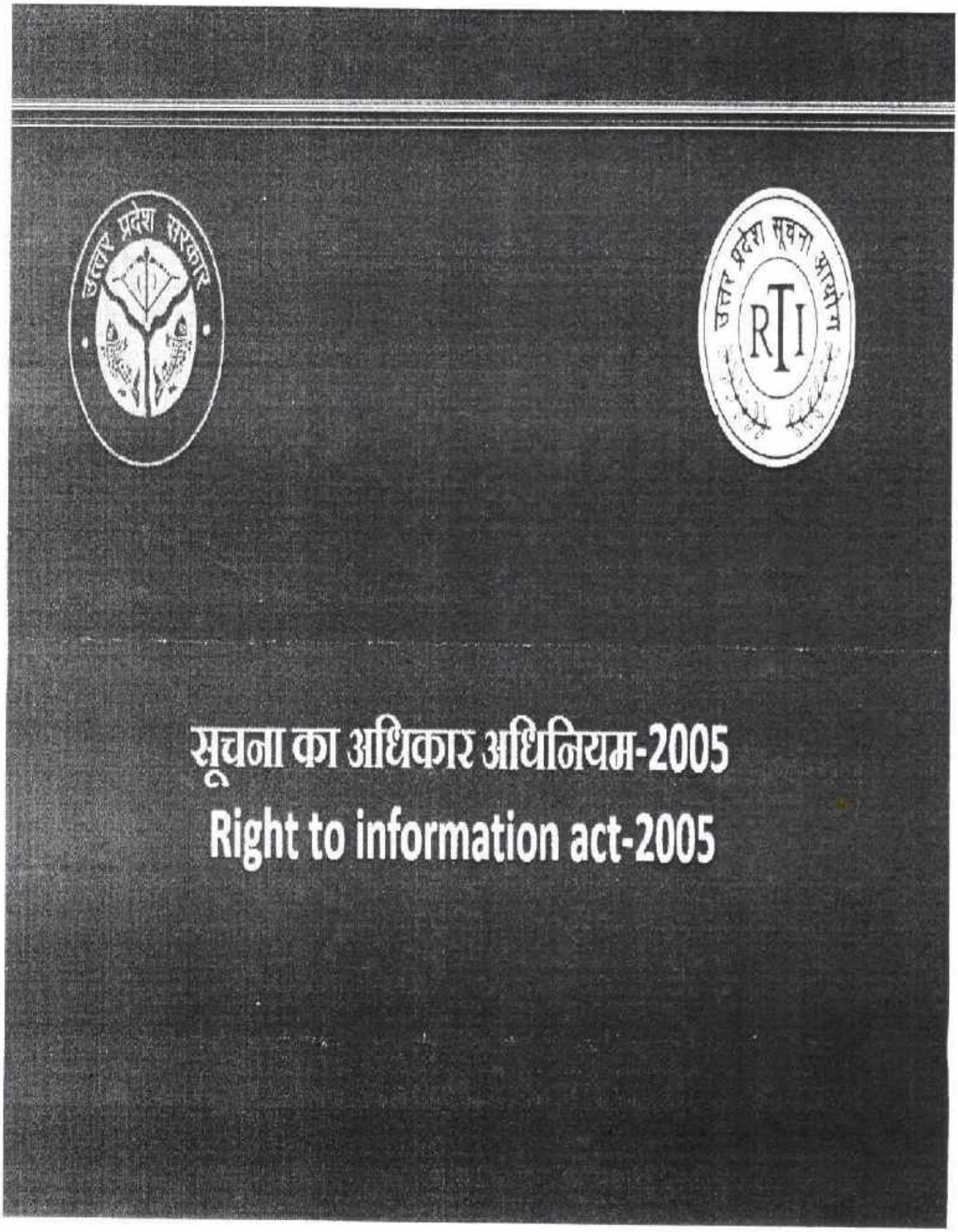
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
RTI
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
Right to information act-2005

2290359/2022/ -3

संख्या- 731 /43-2-2022

1047/VS(KSD)-19/26/2022

VS(K)

O.S.

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

23.12.22
(सुभाष चंद शर्मा)
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा
तथा कौशल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

26/12/22
(कृपा शंकर)
विशेष सचिव
शिक्षा
उ०प्र० शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2022

विषय :- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 17 श्रेणियों की सूचनायें प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक अनिवार्यता है। स्वप्रेरणा (Suo-Moto) से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किए गए प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है।

2- प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय से हस्ताक्षरित प्रशासनिक सुधार अनु०-2 के पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2017, 29 नवम्बर, 2019 एवं 16 फरवरी, 2022 तथा प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 09 मई, 2018, 29 मई, 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 24 मई, 2021 व 23 नवम्बर, 2021, 21 फरवरी, 2022, 03 मार्च, 2022, 29 अप्रैल, 2022 एवं 12 सितम्बर, 2022 के द्वारा भी निर्देश प्रेषित किए गए। विभागीय वेबसाइटों के अवलोकन से यह विदित होता है कि कतिपय विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत पूर्ण सूचनाओं को अपलोड किया गया है परन्तु अधिकांश विभागों की विभागीय वेबसाइट अद्यतन (अपडेट) नहीं है तथा अपलोड की जाने वाली सूचनायें भी अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों की विभागीय वेबसाइट के होम पेज पर 'सूचना का अधिकार' शीर्षक भी उल्लिखित नहीं है और यदि 'सूचना का अधिकार' शीर्षक उल्लिखित भी है तो उसके अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण ठीक से नहीं दर्शाया गया है। विभागीय वेबसाइटों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4(1)(बी) के अन्तर्गत विभागों द्वारा अपलोड की गई सूचनाओं की विभागीय स्थिति पत्र के साथ संलग्न है।

3- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अनुपालन हेतु रिट याचिका सं०-(सिविल)990/2021 दायर की गई है, जिसमें जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति विवरण से मा० उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जाना है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुए अपनी तथा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा० उच्चतम न्यायालय को प्रगति विवरण से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

PIO/Asst. PIO

6/2/23

26/12/2022

2295832/2023/ -3

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)**

[1 फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान]

# सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाये रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अत: अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाय;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## अध्याय-1

## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा ५ का उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "समुचित सरकार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो-

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ् राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उप धारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त' और "सूचना आयुक्त' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड.) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है-

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ् राज्य क्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायामूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) "सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज-पत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से,-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है;

और इसके अन्तर्गत,-

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(य) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, विडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी से है;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

## अध्याय-2

## सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताए

3.**सूचना का अधिकार**- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4.**लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं**- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मानदंड;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना य उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो,

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लाक. उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण के घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध करायेगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का यह निरन्तर प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख)की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जायेगा, जो जनता के लिए सहज रूप में पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जायेगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक नि:शुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण**-उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

5. **लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम**-(1) प्रत्येक लोक अधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी का प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा :

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी

को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जायेगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

6. **सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध-** (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाय-

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा:

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नही किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नही की जायेगी।